

284

no 8

व्यायायाल श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर,  
खण्ड पीठ रीवा (म०प्र०)



R. 2538/२७।१८.

दिनेश प्रसाद ब्राह्मण तनय जागेश्वर प्रसाद, उम्र वर्ष,  
निवासी ग्राम सुमेदाकला, तहसील मऊगंज, जिला-रीवा(म.प्र.)

अनुरोध हित के  
द्वारा दिनांक ०२-०७-१५  
मूल दस्तावेज़

-----आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

रु. 27।१८  
सर्किर कोर्ट रिक्विएशन  
शासन मध्यप्रदेश

-----अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश व्यायालय  
अपर कलेक्टर महोदय, सीधी जिला  
सीधी मध्यप्रदेश के राजस्व प्रकरण  
क्र. 416निगरानी /11-12 मे पारित  
आदेश दिनांक 23.05.2014

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र० भू-राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

### प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

यह कि ग्राम परासिली, तहसील मझौली की शासकीय  
भूमि आराज खसरा क्रमांक 207/२ का जुज रकवा  
2.023हेक्टेयर का व्यवस्थापन म०प्र०कृषि प्रयोजन के  
लिये उपयोग किया जा रही रखल रहित भूमि पर  
भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध  
अधिनियम 1984 के आधीन आवेदक द्वारा व्यायालय  
नायब तहसीलदार मझौली के व्यायालय मे आवेदन पत्र  
प्रस्तुत किया। जहों पर माननीय अधीनस्थ व्यायालय द्वारा


प्रतिशुल्क

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.25.38.॥५॥ जिला— सीधी

दिनेश कुमार छोड़ विरुद्ध माझे शायत

(1)	(2)	(3)
17-10-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री प्रद्युमन रहड़ी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर / अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 416/किंग/11.12 में पारित आदेश दिनांक 23.5.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्रो भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.3.19 को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">८ सदस्य</p> 	

अधिनियम 1984 के आधीन आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मझौली के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहाँ पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रस्तुत किया जाएगा।